

**Mine code 38HPR10061**

स्पीड पोस्ट

संख्या : एचपी/एसआरएम/एलएसटी-25

100 ओल्ड नेहरू कालोनी,  
देहरादून (उत्तराखंड)  
दिनांक : 29.04.2015

सेवा में : श्रीमती सत्या तोमर,  
पत्नी स्व० श्री धरम सिंह तोमर,  
आदर्श कालोनी  
पोस्ट- पौवटा साहिब,  
जिला- सिरमौर (हि० प्र०)

विषय : हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित आपकी भीमगोडा चूनापत्थर खान पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन।

महोदय,  
इस कार्यालय के श्री एस० सकलानी, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा दिनांक 07.03.2015 को आपकी उपरोक्त वर्णित खान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया:-

**RULE NO. NATURE OF VIOLATION OBSERVED**

**24(1):** Notice of temporary discontinuance has not been received.

**45(1) (a):** Monthly returns for the year 2013-14 & 2014-15 (upto February) have not been received.

**45(1) (c):** Annual return for the year 2013-14 has not been submitted.

02. In this connection, it is brought to your notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 58 of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.

03. You are advised to rectify the above violations immediately and intimate the position to this office within 45(Forty Five) days from the date of issue of this letter.

भवदीय,

*any* 30/04/15  
(के० एस० यादव)  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि -

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2. राज्य भूवैज्ञानिक, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, शिमला, (हि० प्र०)

पत्र प्रेषित किया  
दि० 29/4/15... Rakeh

*any* 30/04/15  
(के० एस० यादव)  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो